न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/271/2017

उनवान

1. नानूराम पुत्र नन्दराम शर्मा, निवासी बिलोड तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. लादु लाल पुत्र नन्द लाल ब्राह्मण निवासी बिलोड तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
2. बालू लाल पुत्र लादु लाल ब्राह्मण निवासी बिलोड, तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, माण्डलगढ जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के
प्रकरण संख्या 12/2001 आदेश दिनांक 2.11.2001

अधिवक्तागण :–

1. श्री आदित्यनारायण , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री दिनेश सिसोदिया, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 1 व 2
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 21.10.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2/वादीगण ने अधीनस्थ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी के अविभाजित संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम बिलोड पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा में स्थित है । जमाबंदी ग्राम बिलोड पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा संवत 2056 से 2059 की खाता संख्या 61 लादू लाल, नानू राम, पिता नन्दराम ब्राह्मण साकिन देह होकर आराजी संख्या 118 रकबा 1 बीघा 11 बिस्सा, आराजी नम्बर 121 2 बीघा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 129 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 132 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 303/129 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड है । जिसमें वादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है।

2. वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादीगण के अविभाजित संयुक्त आराजियात खातेदारी की जमाबंदी संवत 2056 से 2059 में खाता संख्या 32 की आराजी संख्या 34 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा आराजी नम्बर 35 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 37 रकबा 3 बीघा 6बिस्वा, कुल किता 3 कुल रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड है। जिसमें वादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा है। जिसका बंटवाडा कराने के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 अधिकारी है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बीच राज्य सरकार में लगान जमा कराते समय विवाद पैदा होता रहता है । इस कारण उक्त कृषि आराजियात का बंटवाडा वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य मौके पर कब्जे अनुसार कराया जाना आवश्यक है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य वाहमी समझौता जो पूर्व में हुआ था के अनुसार ही वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। वर्तमान में मौके पर वाहमी बंटवाडे के अनुसार ही काश्त कर रहे हैं। वादीगण ने

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 11.11.2000 को सहमति से उक्त आराजियात का बंटवाडा कराने व राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने के लिए के लिए कहा परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने मना कर दिया । अतःवाद पत्र की चरण संख्या 1 में से वादी सख्या 1 एवं चरण संख्या 2 में वर्णित आराजियात में से वादी सख्या 2 के नाम अपने अपने कब्जे अनुसार 1/2 हिस्से का बंटवाडा किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण दिनांक 13.8.2001 को निर्णय एवं प्रांरभिक डिक्री पारित की गई एवं बंटवाडा प्रस्ताव प्राप्त होने पर 2.11.2001 को निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट को निर्णय एवं डिक्री जैर बहस की जानकारी हाल ही में दिनांक 16.7.2017 को तब हुई जब डिक्री जैर बहस की आड में रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने मौके पर आकर विवाद उत्पन्न किया जबकि मौके पर आराजी संख्या 34, 35 एवं 37 पर जमीन की किस्म के अनुसार बराबर रूप से काबिज है लेकिन रेस्पोडेण्ट संख्या 2 द्वारा वर्ष 2001 में पारित डिक्री के आधार पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तब अपीलाण्ट ने इस संबंध में जानकारी कर दिनांक 24.7.2017 को नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया एवं दिनांक 24.7.2017 को नकल प्राप्त होने पर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अवलिम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

6. अधिवक्ता अपीलार्थी का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दायर वाद की अपीलाण्ट पर कोई तामील नहीं हुई है। अपीलाण्ट पर विधिवित रूप से तामील हुए बिना ही अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर निर्णय पारित किया गया है एवं अंतिम डिक्री पारित किये जाने के लिए भी अपीलाण्ट को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई एवं महज रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 की मौजूदगी में ही बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर उसके अनुसार अंतिम डिक्री पारित कर दी गई जो अपास्त योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अव्वल तो वाद पत्र के नोटिस ही अपीलाण्ट/प्रतिवादी पर विधिवत तौर पर तामील नहीं हुए थे लेकिन कदाचित वाद पत्र की कार्यवाही के तहत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने तक एकपक्षीय कार्यवाही रहने के उपरान्त भी अंतिम डिक्री की कार्यवाही के लिए एवं मौके पर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किये जाने के लिए प्रतिवादी अपीलाण्ट को व्यक्तिगत तौर पर अलग से सूचित किया जाना एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से आवश्यक था लेकिन इस प्रकार की कोई सूचना दिये एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही वादीगण के चाहे अनुसार अंतिम डिक्री पारित कर दी गई जिसके तहत वादग्रस्त आराजियात का विभाजन मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन नहीं किया गया अर्थात अच्छी से अच्छी एवं बूरी से बूरी भूमि का विभाजन किस्म एवं मौके की स्थिति के अनुसार नहीं किया । जबकि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नियमों के अनुसार उक्त अनुसार विभाजन किया जाना आवश्यक था । वादीगण ने मनमकसूद तरीके से अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए आराजी संख्या 34 एवं 35 जो कि बंजड है उसमें से 2 बीघा 17 बिस्वा जमीन अपीलाण्ट/प्रतिवादी के हिस्से में रखी जबकि 2 बीघा 5 बिस्वा जमीन ही वादीगण रेस्पोडेण्ट के स्वयं के रखी । तथा आराजी संख्या 37 जो कि चाही है उसमें से 1 बीघा 7 बिस्वा जमीन प्रतिवादी अपीलाण्ट के रखी गई एवं 1 बीघा 19 बिस्वा जमीन जमीन वादी रेस्पोडेण्ट के रखी गई जिससे ही विभाजन मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से नहीं किया जाना स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। इसी प्रकार अन्य खाते की आराजी नम्बर 118, 121, 129, 132, एवं 303/129 के विभाजन में भी भेदभाव हुआ है तथा विभाजन मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन नही हुआ है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रकरण में दो खातो का दावा एक साथ विभाजन बाबत प्रस्तुत किया जिससे प्रतिवादी को प्रिज्यूडिसकाज हुआ है खाता संख्या 61 के खातेदार वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 1 है जबकि खाता संख्या 32 में वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार है इस प्रकार दोनों खातें में वादीगण अलग अलग खातेदार है। इस कारण दोनों वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध संयुक्त रूप सेदावा पेश करने का कोई अधिकार नहीं था। वादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध अलग वाद पत्र एवं वादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध अलग वाद पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। जिससे प्रतिवादी को किसी प्रकार का संशय नहीं रहता । क्योंकि मुकदमें के अनवान से प्रत्यक्ष तौर पर यही ज्ञात होता है कि महज लादू लाल ने ही प्रतिवादी अपीलाण्ट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किया है । जिसके संबंध में अपीलाण्ट को कोई विशेष आपत्ति भी नहीं है लेकिन इसकी आड में वादी संख्या 2 के साथ अपीलाण्ट की संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन भी करवा लिया जो विधिसम्मत नहीं होकर अपास्त योग्य है । क्योंकि भिन्न–भिन्न पक्षकारान, भिन्न भिन्न विषयवस्तु एवं भिन्न भिन्न बिनाय वाद को संयुक्त रूप से संयोजित करते हुए वाद पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो विधि की दृष्टि से उचित नहीं होने से निर्णय एवं डिक्री निरस्त योग्य है। अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण आर एल डब्ल्यू 2009 (1) पेज 151 एवं आर एल डब्ल्यू (राजस्थान) 2 पेज 1142 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन भी किया ।

9. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील अपीलाण्ट मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण गलत अंकित किया है। उसका कथन है कि अपीलाण्ट को निर्णय एवं डिक्री जैर बहस की जानकारी हाल ही में दिनांक 16.7.2017 को तब हुई जब डिक्री जैर बहस की आड में रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने मौके पर आकर विवाद उत्पन्न किया। अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री की पूर्ण रूप से जानकारी थी । अपीलार्थी ने खसरा नम्बर 36 आता चाह पर विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन वर्ष 2012 में सहायक अभियान्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, माण्डलगढ में वर्ष 2012 में प्रस्तुत किया । जिस हेतु उसके द्वारा जमाबंदी खतौनी ग्राम बिलोड पटवार हल्का सुरास संवत 2068 से 2071 की प्रमाणित प्रति पटवार हल्का सुरास से दिनांक 21.11.2012 को प्राप्त कर विद्युत कनेक्शन के लिए पत्रावली के साथ संलग्न की थी। उक्त जमाबंदी में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय एवं अंतिम डिकी की पालना अपीलाण्ट के हक हिस्से का इन्द्राज किया हुआ है। अपीलाण्ट अनपढ काश्तकार नहीं होकर पेशे से अध्यापक है। अपीलार्थी द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु जो आवेदनपत्र ने सहायक अभियान्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, माण्डलगढ में वर्ष 2012 में प्रस्तुत किया गया था। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का यह कथन कि उसे अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी की जानकारी दिनांक 16.7.2017 को तब हुई जब डिकी जैर बहस की आड में रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने मौके पर आकर विवाद उत्पन्न किया तब हुई थी। अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण जानबूझकर गलत अंकित किया है।

10. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का पर्याप्त एवं उचित कारण नहीं दर्शाया है । अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण गलत एवं झूठे तथ्य छल कपट करते हुए अंकित किया है । प्रत्यर्थीगण ने अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण डी एन जे 2016 (1) राजस्थान 201 आर आर टी 2015 (2) पेज 1425, एवं आर आर टी 2015 (1) पेज 232 प्रस्तुत किये एवं उक्त न्यायिक उद्धरण के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

11. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक व उचित नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण '' **अपीलाण्ट को निर्णय एवं डिकी**

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जैर बहस की जानकारी हाल ही में दिनांक 16.7.2017 को तब हुई जब डिक्री जैर बहस की आड में रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने मौके पर आकर विवाद उत्पन्न किया जबकि मौके पर आराजी संख्या 34, 35 एवं 37 पर जमीन की किस्म के अनुसार बराबर रूप से काबिज है लेकिन रेस्पोडेण्ट संख्या 2 द्वारा वर्ष 2001 में पारित डिक्री के आधार पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तब अपीलाण्ट ने इस संबंध में जानकारी कर दिनांक 24.7.2017 को नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया एवं दिनांक 24.7.2017 को नकल प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है।'' अपीलार्थी ने अपील को अन्दर मियाद माने जाने के संबंध में न्यायिक उद्धरण आर एल डब्ल्यू 2009 (1) पेज 151 एवं आर एल डब्ल्यू (राजस्थान) 2 पेज 1142 प्रस्तुत करने हुए अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया है। जबकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण में माननीय न्यायालय ने यह मत प्रतिपादित किया है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए विलम्ब माफी दी और परिसीमा संबंधी तकनिकी बिन्दुपर विचार करने की बजाय अपील को गुणावगुण पर विनिश्चित करने का विकल्प अपनाया। '' अपीलाधीन मामलें में अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण जानबूझकर गलत अंकित किया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण डी एन जे 2016 (1) राजस्थान 201 आर आर टी 2015 (2) पेज 1425, एवं आर आर टी 2015 (1) पेज 232 का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। न्यायिक उद्धरण आर आर टी 2015 (2) पेज 1425, प्रकरण के तथ्य भिन्न होने से चस्पा नहीं होता है। न्यायिक उद्धरण आर आर टी 2015 (1) पेज 232 वर्तमान प्रकरण पर आंशिक रूप से चस्पा होता है। न्यायिक उद्धरण डी एन जे 2016

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

(1) राजस्थान 201 माननीय न्यायालय ने मत प्रतिपादित किया गहै कि तात्विक तथ्यों को छिपाया, विलम्ब हेतु पर्याप्त कारण नहीं बताया । परिसीमा का कानून केवल औपचारिकता नहीं है विलम्ब शमन हेतु पर्याप्त कारण होना आवश्यक है। अपीलार्थी को प्रतिदिन के विलम्ब का कारण प्रस्तुत करना आवश्यक था परन्तु डिक्री की पालना हो जाने के बाद, डिक्री जारी होने के 16 वर्ष बाद अपील पेश की है। अत्यन्त विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने पर अपीलाण्ट से अपेक्षा की जाती है कि वे विलम्ब का सद्भाविक व औचित्यपूर्ण कारण विस्तार से अभिलिखित करेंगे। परन्तु अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण गलत अंकित किया है क्योंकि स्वयं अपीलार्थी ने वादग्रस्त खसरा नम्बर 36 आता चाह पर विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन वर्ष 2012 में सहायक अभियान्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, माण्डलगढ में वर्ष 2012 में प्रस्तुत किया । जिस हेतु उसके द्वारा जमाबंदी खतौनी ग्राम बिलोड पटवार हल्का सुरास संवत 2068 से 2071 की प्रमाणित प्रति पटवार हल्का सुरास से दिनांक 21.11.2012 को प्राप्त कर विद्युत कनेक्शन के लिए पत्रावली के साथ संलग्न की थी। उक्त जमाबंदी में निर्णय एवं अंतिम डिक्री की पालना अपीलाण्ट के हक हिस्से का इन्द्राज किया हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आर एल डब्ल्यू 2009 (1) पेज 151 एवं आर एल डब्ल्यू (राजस्थान) 2 के तथ्य भिन्न होने से वर्तमान प्रकरण उक्त न्यायिक उद्धरण चस्पा नहीं होते हैं। इसके विपरीत अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण डी एन जे 2016 (1) राजस्थान 201 आर आर टी 2015 (2) पेज 1425, एवं आर आर टी 2015 (1) पेज 232 में प्रतिपादित न्यायिक उद्धरणों के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी के विरूद्ध मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाया जाना उचित नहीं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

समझते हैं। अतः अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य पाई जाती है।

12. अतः अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 2.11.2001 को यथावत रखा जाता है। डिक्री पर्चा मूर्तिब किया जावे।

13. निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

21/X/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
भीलवाड़ा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/271/2017

उनवान

1. नानूराम पुत्र नन्दराम शर्मा, निवासी बिलोड तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. लादु लाल पुत्र नन्द लाल ब्राह्मण निवासी बिलोड तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
2. बालू लाल पुत्र लादु लाल ब्राह्मण निवासी बिलोड, तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, माण्डलगढ जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के प्रकरण संख्या 12/2001 आदेश दिनांक 2.11.2001

अपील में डिक्री
(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आरटीए/271/2017 मे **उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित ड्क्रिी जारी की जाती हैः

यह अपील तारीख 21.10.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री आदित्यनारायण प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश सिसोदिया एवं प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 21.10.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 2.11.2001 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 21.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह ड्क्रिी जारी की जाती है।

21/X/19

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस